५/५/२२ पंजाबली पेश हुआ। वकील उपस्थित था।
प्रार्थना पत्र सेवाधिकार वाद पूर्व में दिनांक
18/5/16 को डिग्री से ग्रस्त है। अतः प्रार्थी
पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
इसलिये प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने का
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पंजाबली
फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
सुनाया गया। सलाम मूल वाद है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)